न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर श्रीडूगरगढ़ जिला बीकानेर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री रामरख मीना RAS

प्रकरण संख्याः– 18/2017 दायर दिनांक :– ~~30.10.2017~~ 26.5.2017

1. धनाराम पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी सुडसर तहसील श्रीडूगरगढ जिला बीकानेर (राजस्थान)।

वादी

–बनाम–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भूराजस्व श्रीडूगरगढ
2. मानीदेवी पत्नि आदूराम
3. जगदीश
4. मदनलाल
5. दुलाराम
6. ओमप्रकाश
7. लालाराम
8. मन्जू
9. राधा

(3 से 9) पुत्र/पुत्रिया आदूराम जाति जाट निवासी सुडसर तहसील श्रीडूगरगढ़ जिला बीकानेर (राजस्थान)

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक अर्न्तगत आर.टी.एक्ट 1955 धारा 88,188

उपस्थितः–
1. श्री राजूराम बाना अभिभाषक वादी
2. प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 इकतरफा
3. श्री राज पेरापकार

निर्णय दिनांक :–18.01.2019

वादी ने जरिये अभिभाषक इस न्यायालय में वास्ते घोषणात्मक का एक दावा पेश किया जिसके जो सक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने रोही सुडसर के गत खसरा नम्बर 261 तादादी 17 बीघा 16 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 323 तादादी 1.5100 हैक्टेयर है में से जरिये विक्रय पत्र दिनांक 30.12.1976 को आसूराम पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी सूडसर से 1 बिघा भूमि खरीद की थी तब से आज तक उक्त भूमि पर कब्जा काश्त लगातार वादी का ही शान्तिपूर्वक चला आ रहा है। यह है कि जमाबन्दी सम्वत् 2031–34 में विक्रेता आसूराम के खसरा नम्बर 261 तादादी 17 बीघा 16 विस्वा रोही सुडसर का खाता आसूराम पुत्र मघाराम कौम जाट खोड सा. देह खातेदार के नाम से था जिसमें उक्त खातेदार ने वादी को 1 बीघा जमीन जरिये विक्रय पत्र बेचान कर दी बाद में उक्त खातेदार के नाम की जमाबन्दी सम्बत् 2043–46 में उनके वारिसान भंवरलाल आदुराम तुलछीराम पिसरान आसूराम जाति जाट सा. देह खातेदार दर्ज हो गया जिसका इन्द्राज जमाबन्दी सम्वत् 2043–46 में है। दिनांक 27.10.2015 को उक्त खातेदारों ने खाता विभाजन करवाया जिसमें जरिये ई. नं. 220 दिनांक 27.10.2015 से आदूराम पुत्र आसूराम जाति जाट निवासी सूडसर के खसरा नम्बर 261 मिन तादादी 5 बीघा 19 विस्वा खातेदारी दर्ज हो गई जो वर्तमान में खसरा नम्बर 321 तादादी 1.5100 हैक्टेयर रोही सुडसर आदूराम पुत्र आसूराम जाति जाट निवासी सूडसर के नाम चला आ रहा है जो वर्तमान में खसरा नम्बर 611/323 तादादी 1.2065 हैक्टेयर है। वादी ने मूल गत खसरा नम्बर 261 तादादी 17 बीघा 16 बिस्वा रोही सूडसर में दक्षिण की 1 बीघा भूमि खरीद की थी। जिस पर कब्जा काश्त वादी का निरन्तर चला आ रहा है जिसकी खातेदारी वर्तमान में आदूराम पुत्र आसूराम जाति जाट निवासी सूडसर के नाम से है। आदूराम का स्वर्गवास हो जाने के कारण अब वर्तमान में उनके जायज वारिसानो को पक्षकार संयोजित किया गया है। वादी अनपढ़ एवं नासमझ होने के

--- 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Scanned by CamScanner

कारण उक्त खरीदशुदा भूमि का नामान्तरण दर्ज नही करवा सकें, जब वादी को इस तथ्य का ज्ञान हुआ कि वादी द्वारा खरीद की हुई भूमि के राजस्व रिकार्ड में नाम प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के पिता आसूराम का चला आ रहा है तो वादी ने दिनांक 05.01.2017 को विक्रय पत्र एवं दिनांक 02.01.2017 की नकल निकलवाकर प्रतिवादी संख्या 1 से वादी का नाम विक्रय पत्र के आधार पर इन्द्राज करने हेतु दिनांक 20.05.2017 को निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 1 ने राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करने से इनकार कर दिया वादी गत खसरा नम्बर 261 तादादी 17 बीघा 16 बिस्वा रोही सुडसर में 1 बीघा जमीन खरीद थी जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 611/323 तादादी 1.2065 हैक्टेयर रोही सुडसर कायम हुआ है जिसमें वादी विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। अतः वादी का दावा स्वीकार किया जाकर वादी को वर्तमान खसरा नम्बर 611/323 तादादी 1.2065 रोही सुडसर में दक्षिण तरफ की 0.2529 हैक्टेयर का खातेदार घोषित किया जावें

वादी को धारा 80(2) सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र पर सुना जाकर दावा दर्ज करके वादी के उक्त वाद पर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 की विधिवत रजिस्टर्ड तामिल होने के बावजूद भी न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्व इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी की और से pw-1 धनाराम pw-2 रामलाल के शपथपत्र के रूप में ब्यान करवाये। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि वादी ने जो भूमि गत खसरा नम्बर 261 तादादी 17 बीघा 16 बिस्वा रोही सुडसर में 1 बीघा जमीन खरीद थी जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 611/323 तादादी 1.2065 हैक्टेयर रोही सुडसर कायम हुआ है में से जरिये विक्रय पत्र दिनांक 30.12.1976 को आसूराम पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी सूडसर से 1 बिघा भूमि खरीद की थी उस पर वादी का कब्जा काश्त है जो वर्तमान खसरा नम्बर 611/323 तादादी 1.2065 हैक्टेयर रोही सूडसर में दक्षिणी तरफ की 0.2529 हैक्टेयर है। जिस पर वादी का कब्जा काश्त है। कब्जा काश्त एवं विक्रय पत्र दिनांक 30.12.1976 के अनुसार वादी खसरा नम्बर 611/323 तादादी 1.2065 हैक्टेयर में से दक्षिणी तरफ रोही सूडसर में राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज कराने के अधिकारी है । अतः यह न्यायालय वादी को खसरा नम्बर 611/323 तादादी 1.2065 हैक्टेयर में से दक्षिणी तरफ 0.2529 हैक्टेयर रोही सूडसर का खातेदार घोषित किया जाना उचित समझता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 611/232 तादादी 1.2065 हैक्टेयर में से दक्षिणी तरफ 0.2529 हैक्टेयर रोही सूडसर तहसील श्री डूँगरगढ़ का खातेदार वादी धनाराम पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी सूडसर को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ उपरोक्तानुसार वादी के खातेदारी दर्ज कर राजस्व नक्शे में तरमीम करें। डिक्री जारी हों । पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों ।

आज दिनांक 18.01.2019 को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामरख मीना RAS)
उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर(राज.)

Scanned by CamScanner